उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः 223975 / III(1) / 2024–59217 / PRO–4 / 2023
देहरादून, दिनांक 11 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

निर्देश याचिका संख्या 92 / DB / 2022 रणवीर सिंह पंवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं Modification application संख्या 04 / DB / 2022 में मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 136296 / III(1) / 2023–39510 / MIS / 31 / 2022, दिनांक 12.07.2023 द्वारा श्री रणवीर सिंह पंवार को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अब्बल सिंह राणा की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 13.08.2013 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 120139, दिनांक 09.05.2023 द्वारा पूर्व में निर्गत ज्ञाप संख्या 1573 / XXX(2) / 2010, दिनांक 10.11.2010 में संशोधन करते हुए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु समूह 'क' व 'ख' के पदों पर भी पदोन्नति प्रकम पर आरक्षण का प्राविधान किये जाने के दृष्टिगत श्री नीरज कुमार त्रिपाटी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 15.05.2023 व तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या 141595 / III(1) / 2023–39510 / MIS / 31 / 2022, दिनांक 28.07.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति पत्र संख्या 875 / 05 / ई0–4 / DPC / 2023–24, दिनांक 01.02.2024 के कम में शासन के ज्ञाप संख्या 197305 / III(1) / 2024–16789 / PRO / 2 / 2022, दिनांक 12.03.2024 द्वारा श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित पद के सापेक्ष दिनांक 01.07.2013 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2– उक्त के दृष्टिगत श्री रणवीर सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से ज्येष्ठता सूची भाग–4 (क्रमांक 381 से 469 तक) में संशोधन करते हुए सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में अपने से आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री अब्बल सिंह राणा, सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता कमांक से ठीक ऊपर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। यहां यह भी सूच्य है कि श्री रणवीर सिंह पंवार की दिनांक 07.11.2023 को आकस्मिक निधन हो गया है। इसी तरह श्री नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में दिनांक 01.07.2013 से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती / पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में अन्तिम ज्येष्ठता समय–समय पर निर्धारित की गयी है। इसी क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 589 / III(1) / 18–101(अधि0) / 10, दिनांक 08.

05.2018 द्वारा ज्येष्ठता सूची भाग–04 (क्रमांक 381 से 469 तक) निर्गत की गयी है। पूर्व में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 862, दिनांक 25.06.2018 द्वारा श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान किया गया था। तत्क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 158006, दिनांक 04.10.2023 द्वारा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची (भाग–5, क्रमांक–470 से 647 तक) निर्गत की गयी, जिसमें श्री त्रिपाठी की ज्येष्ठता क्रमांक 581 पर निर्धारित की गयी।

4– चूंकि सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर श्री रणवीर सिंह पंवार को दिनांक 13.08.2013 से नोशनल पदोन्नति तथा श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को दिनांक 01.07.2013 से दिव्यांग श्रेणी के आरक्षित पद के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान किया गया है, अतः उनके द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं प्रथम संशोधन नियमावली, 2009 के प्राविधानान्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत ज्येष्ठता सूची भाग–4 (क्रमांक 381 से 469 तक), दिनांक 08.05.2018 में संशोधन करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक 389 'ए' पर श्री रणवीर सिंह पंवार (मृत) को एवं ज्येष्ठता क्रमांक 430 'ए' पर श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

5– अतः श्री रणवीर सिंह पंवार (मृत) एवं श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की सहायक अभियन्ता (संवर्ग) में अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से पूर्व संलग्न सूची (परिशिष्ट–1) के अनुसार प्रस्तावित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित अभियन्ताओं के मध्य परिचालित करते हुये उससे यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी को सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत ज्येष्ठता सूची भाग–4 (क्रमांक 381 से 469 तक) में संशोधन हेतु प्रस्तावित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, तो वे पत्र निर्गत होने से 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त प्रत्यावेदनों पर ही सम्यक रूप से नियमानुसार विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

Signed by Pankaj Kumar Pandey
Date: 10-07-2024 13:39:35

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या:223975 / III(1) / 2024–59217 / PRO–4 / 2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (परिशिष्ट–1) को लोक निर्माण विभाग की वेब–साइट पर सार्वजनिक करना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों का

परिशिष्ट—1

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की प्रस्तावित संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूचीः—

(भाग—4)

(क्रमांक 381 से 469 तक)

ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती का स्रोत	सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
389	श्री इन्द्र दत्त भट्ट	श्री रामनाथ भट्ट	10.06.60	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)/पदोन्नति	13.08.2013	सामान्य	सेवानिवृत्त
389 (A)	श्री रणवीर सिंह पंवार	श्री जोत सिंह पंवार	10.03.65	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)/पदोन्नति	13.08.2013 (नोशनल)	सामान्य	मृत (निर्देश याचिका संख्या 92/डी0बी0/2022 रणवीर सिंह पंवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं Modification application संख्या 04/डी0बी0/2022 में मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 136296/III(1)/2023–39510/MIS/31/2022, दिनांक 12.07.2023 द्वारा श्री रणवीर सिंह पंवार को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अब्बल सिंह राणा की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 13.08.2013 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है।)
390	श्री अब्बल सिंह राणा	श्री दौलत सिंह राणा	07.05.60	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)/पदोन्नति	13.08.2013	सामान्य	सेवानिवृत्त
430	श्री राजू अधिकारी	श्री हरी सिंह अधिकारी	01.06.62	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)/पदोन्नति	29.02.2016	सामान्य	सेवानिवृत्त
430 (A)	श्री नीरज कुमार त्रिषाठी	श्री जगदीश कुमार त्रिपाठी	06.10.72	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)/पदोन्नति	01.07.2013 (दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित पद के सापेक्ष)	सामान्य/दिव्यांग	कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 120139, दिनांक 09.05.2023 द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10.11.2010 में संशोधन करते हुए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु समूह 'क' व 'ख' के पदों पर भी पदोन्नति प्रकम पर आरक्षण का प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप श्री नीरज कुमार त्रिपाटी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 15.05.2023 एवं इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 141595/III(1)/2023 –39510/MIS/31/2022, दिनांक 28.07.2023 के कम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति पत्र संख्या 875/05/ई0–4/डी0पी0सी0/ 2023–24, दिनांक 01.02.2024 के दृष्टिगत शासन के कार्यालय

बिन्दुवार रूप से नियमानुसार परीक्षण कर सुस्पष्ट मंतव्य के साथ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2—मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

3—मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभियन्ताओं के मध्य ज्येष्ठता सूची, भाग—4 में संशोधन हेतु प्रस्तावित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को परिचालित कराना सुनिश्चित करें।

4— विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by Shyam Singh
Date: 11-07-2024 11:53:41

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

							ज्ञाप संख्या 197305, दिनांक 12.03.2024 द्वारा श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित पद के सापेक्ष दिनांक 01.07.2013 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है।
431	श्री हितेष	श्री नवीन चन्द्र काण्डपाल	13.07.1990	सीधी भर्ती	05.02.2014	सामान्य	—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-estapwd@gmail.com

पत्रांक: 953 / 37व्यक–सा0 / 2022 दिनांक 19/ 07 / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय ज्ञाप संख्या–223975 / III(I) / 2024–59217 / PRO–4 / 2023 दिनांक–11.07.2024 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में नियुक्त / पदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) की संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4 (क्रमांक–381 से 469 तक) की निर्गत करते हुये, उक्त संशोधित ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में किसी अभियन्ता को कोई आपत्ति है तो 15 दिन के भीतर अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार शासन द्वारा दिये गये आदेशानुसार संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार / प्रसार कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं तक उपलब्ध कराने हेतु इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अभियन्ता को कोई आपत्ति है, तो वे पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगें:–

01. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग। संलग्न–सूची।
02. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग। संलग्न–सूची।
03. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग। संलग्न–सूची।
04. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग में नियुक्त / पदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) की संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (भाग–04 ज्येष्ठता क्रमांक–381 से 469 तक) की सूची लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समस्त कार्यालयों को ई–मेल / वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें। संलग्न–सूची।
05. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
06. गार्ड पत्रावली हेतु।

19/7/2024

अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि
देहरादून
19.07.24